**भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम**

**व्याख्यान- III**

**भारतीय संविधान की प्रस्तावना**

**नमस्कार।**

**भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है जो नालसार विधि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है।**

पिछले व्याख्यान में, हमने इस बारे में बात की थी कि भारतीय संविधान का मसौदा कैसे तैयार किया गया था। हमने संविधान सभा की संरचना के बारे में बात की। संविधान सभा के समक्ष जो विकल्प थे और कौन से विकल्प उन्होंने चुने। इसके बारे में बात की थी।

आज हम अपने संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो संविधान की प्रस्तावना है। सबसे पहले मैं अपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ता हूँ।

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार,अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डतासुनिश्चित कराने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधानसभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई॰ (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

**संविधान की प्रस्तावना क्या होती है?**

प्रस्तावना का अर्थ है “परिचय”। यह हमें संविधान के अधिकार का स्रोत बताती है। किसी भी संविधान के लिए सबसे बुनियादी सवाल है कि यह संविधान अपना अधिकार कहाँ से लेता है। तो यह प्रस्तावना है जो हमें बताएगा कि हमारे संविधान का अधिकार का स्रोत क्या है। हम इस पर थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे।

प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आदर्शों, लक्ष्यों और दृष्टि को भी इंगित करता है। यह हमें बताएगा कि हमारे संविधान या दुनिया के किसी भी संविधान के वह कौनसे आदर्श है जिन्‍हें हर देश हासिल करना चाहता है। प्रस्तावना हमें यह भी बताता है कि संविधान किस तरह के समाज की परिकल्पना करता है। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रसिद्ध मामले में 1967 में, मुख्य न्यायाधीश, सुब्बा राव ने कहा था कि प्रस्तावना में आदर्शों और आकांक्षाओं को संक्षेप में शामिल किया जाता है। इसलिए एक राष्ट्र के रूप में हमारी आकांक्षाएं यदि आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको भारत के संविधान की तरफ आना चाहिए, हमारी प्रस्तावना को पढ़ना चाहिए और मैंने अभी आपके सामने देश के प्रस्‍तावना को पढ़ा था।

अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि **क्या सभी संविधानों में प्रस्तावना होती है?**

उत्तर स्पष्ट रूप से हाँ भी नहीं है और स्‍पष्‍ट तौर पर ना भी नहीं है। लेकिन कानूनी रूप से कहें तो संविधान में प्रस्तावना का होना अनिवार्य नहीं है। परन्‍तु दुनिया के अधिकांश संविधानों में वास्तव में एक प्रस्तावना होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 54 संविधानों में प्रस्तावना नहीं है। ये कौन से संविधान हैं, बेल्जियम, बोत्सवाना, ब्रुनेई, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, इटली, मलेशिया, मालदीव, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ओमान, कतार, रोमानिया, सिंगापुर, स्वीडन, थाईलैंड आदि। यह एक लंबी सूची है| दुनिया के एक चौथाई संविधानों में प्रस्तावना नहीं है। हमारे अपने देश में भारतीय सरकार अधिनियम 1935, जो कि एक तरह का संविधान था, उसमें भी प्रस्तावना नहीं थी। हमने भारत सरकार अधिनियम से बहुत कुछ अपने संविधान में उधार लिया हैं।

दुनिया के 134 संविधानों में, जिनमें प्रस्तावना है, उनमें से कितने इसे प्रस्तावना कहते हैं – 87, मगर 47 संविधान ऐसे हैं जहाँ किसी प्रकार की प्रस्तावना तो है लेकिन इसे प्रस्तावना नहीं कहा जाता। सबसे छोटी प्रस्तावना यूनान के संविधान की है। इसमें लगभग **11 शब्द** हैं "पवित्र, और अविभाज्य त्रिमूर्ति के नाम पर" (In the name of Holy and consubstantial and Indivisible Trinity)। सबसे **लंबी प्रस्तावना** ईरान के संविधान में है जिसमें 3073 शब्द हैं। चीन की प्रस्तावना भी बहुत लंबी है। इसमें 1071 शब्द हैं। विश्व के 121 संविधानों में प्रस्तावना राष्ट्र के मूल्यों और लक्ष्यों को बताती है।

**प्रस्तावना में निर्दिष्ट सामान्य मूल्य क्या हैं?**

तो आइए बात करते हैं कि सामान्य मूल्य क्या हैं। यदि इतनी सारी प्रस्तावनाएं कुछ मूल्यों को संदर्भित करते हैं, तो क्या इन मूल्यों में कुछ समानता भी है। आम तौर पर प्रस्तावना ईश्वर को संदर्भित करता है। 60 प्रस्तावनाओं में सर्वशक्तिमान, ईश्वर का संदर्भ है। अल्बानिया, ब्राजील, युगांडा, जर्मनी, ग्रीस, ईरान, इराक, आयरलैंड आदि के प्रस्‍तावना में प्रस्तावना संप्रभुता, स्वतंत्रता, राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता और आत्मनिर्णय के अधिकार का भी विवरण करता है। वे लोकतंत्र, कानून के शासन, न्याय, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, कानून के समक्ष समानता और मानवाधिकारों का भी संदर्भ देते हैं। आप प्रस्तावना में अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों, समृद्धि, कल्याण, मानवतावाद, बहुलवाद, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के संदर्भ भी पाएँगे। तो मोटे तौर पर यह सामान्‍य मूल्‍य (Common values) है जो दुनिया भर की प्रस्तावनाओं में संदर्भित हैं।

**भारतीय प्रस्तावना का मसौदा किसने तैयार किया?**

भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर आते हैं, जिसे मैंने भी पढ़ा था। प्रश्न यह है कि इस प्रस्तावना का मसौदा किसने तैयार किया था? इसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन हमारी प्रस्तावना के लेखन के बारे में तीन विचार हैं। प्रमुख दृष्टिकोण यह है कि प्रस्तावना उस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। दूसरा विचार यह है कि सर बी.एन. राव, संविधान सभा के सलाहकार थे, जिन्‍हें प्रस्तावना का मसौदा तैयार करने का श्रेय दिया जाना चाहिए। तीसरा विचार यह है कि यह संविधान की प्रारूप समिति (Drafting Committee) थी, जिसकी अध्यक्षता डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने की थी इस प्रारूप समिति ने प्रस्‍तावना का मसौदा तैयार किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रारूप समिति के अधिकांश सदस्यों ने वास्‍तव में स्वास्थ्य के ख़राब होने की वजह से कार्य नहीं किया था, तो प्रो. आकाश सिंह राठौर की राय में, मोटे तौर पर डॉ. भीम राव अम्बेडकर को ही भारतीय संविधान का मसौदा एवं प्रस्‍तावना तैयार करने का श्रेय दिया जाना चाहिए।

**अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कानूनी प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है?**

अनेक सामान्य विधान अधिनियमों में, प्रस्तावना को विधायिका द्वारा अधिनियमित नहीं किया जाता है। लेकिन जहाँ तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध है, मैंने आपको अभी बताया कि इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था। अंतत: हसरत मोहानी के सुझाव पर इसे अंत में अपनाया गया और इसे संविधान के किसी अन्य प्रावधान की तरह अपनाया गया। इसलिए संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना को उतना ही महत्वपूर्ण माना जितना संविधान के किसी अन्य प्रावधान को।

**इस सवाल पर न्यायिक जवाब क्या है? अदालतें क्‍या सोचती है?**

इन रे बेरुबारी के मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। यह 13 साल बाद प्रसिद्ध परम पावन केशवानंद भारती निर्णय में इस विचार को खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। परम पावन केशवानंद भारती का 2020 में निधन हो गया।

यूपी राज्य बनाम दीना नाथ शुक्ल, 1997 के निर्णय में यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। प्रस्तावना में प्रयुक्त कई अभिव्यक्तियाँ पहले से ही संविधान की मूल संरचना के रूप में मानी जा चुकी हैं जैसे देश का लोकतांत्रिक चरित्र या देश का धर्मनिरपेक्ष चरित्र।

**क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है?**

अब यदि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो उसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है? अभी-अभी मैंने आपको बताया कि केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें संशोधन किया जा सकता है| चूँकि प्रस्तावना भी मूल संरचना है और आप जानते हैं कि संविधान के बुनियादी ढाँचे पर कानून यह है कि संसद के पास संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह उसमें संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान का बुनयादी ढाँचा (Basic Structure) या 'संविधान की “मूल संरचना” है। इसलिए संसद के पास संविधान को नष्ट करने की शक्ति नहीं है।

यदि प्रस्तावना मूल संरचना है, तो क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? हाँ, आप प्रस्तावना में कुछ जोड़ सकते हैं। अतः प्रस्तावना में केवल जोड़ द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। तदनुसार, 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए - समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न: प्रस्तावना महत्वपूर्ण है, इसमें राष्ट्र के मूल मूल्य शामिल हैं। यह संविधान का हिस्सा है, उसके बुनियादी ढाँचे का हिस्सा है।

**तो संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना का क्या उपयोग किया जा सकता है?**

यदि संविधान के प्रावधान स्पष्ट हैं, तो संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना का उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्योंकि प्रस्तावना संविधान का “Ought” है, आदर्श है, "चाहिए" है यह संविधान का “is” नहीं है, "है" नहीं है। यह कहने के बाद मैं यह भी कह दूँ कि प्रस्तावना संविधान के प्रावधानों की व्याख्या में न्याय संगत सहायता प्रदान करती है। यदि संविधान के दो प्रावधान विरोधाभासी हैं, या संविधान किसी विषय पर मौन है, तो हमें यह जानने की जरूरत है कि निर्माताओं की मंशा क्या थी और इसलिए हमें प्रस्तावना को देखने की ज़रूरत है। अतः प्रस्तावना का प्रयोग संविधान निर्माताओं की मंशा का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। 1960 के बेरुबारी के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्‍तावना "निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी" (Key to Open the minds of the framers & Constitution) है।

प्रस्तावना क्या है? "संविधान के निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी"। यदि हम देखना चाहते हैं कि उनके मन में क्या था, तो हमें प्रस्तावना को देखना चाहिए।

आइए अब बात करते हैं कि प्रस्तावना में क्या है? बेशक मैंने इसे पढ़ा था। लेकिन अब हम इसे और करीब से देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति, प्रस्तावना की शुरुआत में ही इस्तेमाल की गई है, वह है "हम भारत के लोग"। मैंने आपसे कहा था कि यह प्रस्तावना है जो हमें संविधान के अधिकार का स्रोत बताती है। तो भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है: 'हम भारत के लोग'। हम में से प्रत्येक को प्रस्तावना में संदर्भित किया गया है।

हमने यह अभिव्यक्ति संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से उधार ली है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर्स ने इसे कहाँ से उधार लिया था - संयक्त राज्य अमरीका के संविधान से। तो मेरी राय में प्रस्तावना में यह एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। मैंने आपको दूसरे व्याख्यान में कहा था कि भारत की संविधान सभा में प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए लोग नहीं थे। लेकिन इस अभिव्यक्ति का प्रयोग करके, और इस संविधान के अंतर्गत लगातार चुनावों में लोगों की भागीदारी के कारण, हमने इस संविधान को अपना समर्थन दिया है।

और मेरी राय में 'हम भारत के लोग' के अलावा प्रस्तावना में दूसरी महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति इस संविधान को अपनाना, बनाना और खुद को सौंपना है। यह संविधान हमने बनाया है, हमने अपनाया है, हमने खुद को दिया है। जब मैं संप्रभुता की बात करता हूँ तो आपको इसे पढ़ना होगा। तो अभिव्यक्ति हमारी स्वायत्तता, हमारी संप्रभुता, हमारी स्वतंत्रता को दर्शाती है।

अब जब मैं प्रस्तावना को और करीब से देखता हूँ, तो प्रस्तावना तीन तरह की चीज़ों की बात करती है। प्रथम, यह हमारे राष्ट्र का विवरण करता है। हम किस तरह के राष्ट्र हैं। दूसरा, यह नागरिकों के तीन अधिकारों की बात करता है। नागरिकों के अधिकार क्या हैं? और फिर इन अधिकारों का एक उद्देश्य है। वह उद्देश्य क्या है?

इन अधिकारों का उपयोग किसके लिए किया जाना है। आइए प्रस्तावना में इन तीन महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना में हमारे राष्ट्र का वर्णन। यह कहता है कि हम एक संप्रभु राष्ट्र, समाजवादी राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र हैं। तो यह हमारे राष्ट्र को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र के रूप में वर्णित करता है। राष्ट्र के संदर्भ में ये हमारी विशेषताएं हैं। हम संप्रभु हैं, हम समाजवादी हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम लोकतांत्रिक हैं, हम गणतंत्र हैं।

फिर यह नागरिकों के तीन अधिकारों की बात करता है। वे अधिकार क्या हैं। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अधिकार।

i) **न्याय**- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।

ii) **स्वतंत्रता** - विचारों, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।

iii) **समानता का अधिकार** - स्थिति और अवसर की समानता। यह दोनों प्रकार की समानता की बात करता है।

और फिर तीन उद्देश्य। हम यह सब क्यों बात कर रहे हैं। क्योंकि हम भारत के लोगों के बीच बंधुत्व, भाईचारा (Fraternity) चाहते हैं, उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आम तौर से बात नहीं की गई है। मुझे लगता है कि यह प्रस्‍तावना का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। हमारे संविधान का उद्देश्य बंधुत्व हासिल करना है। हम सभी एक दूसरे के साथ शांति से रहना चाहते हैं। और इस अधिकार का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा है। प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देंगे और भाईचारा तभी बढ़ेगा जब हम प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम अपने एक नागरिक की भी गरिमा से समझौता नहीं करेंगे। और अगर हमारे पास भाईचारा है और अगर हम व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखते हैं और आश्वस्त करते हैं तो क्या होगा। हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हम सब भारत के लिए हैं। हम सब अपनी मातृभूमि के लिए हैं, पूर्णत: समर्पित है। तभी हमें देश की एकता और अखंडता प्राप्त होगी। यदि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित है, यदि बंधुत्व है, स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, तो हम एक शक्तिशाली, एकजुट, एकीकृत राष्ट्र होंगे।

**संविधान में प्रस्तावना किस प्रकार प्रतिबिम्बित होती है?**

उच्च विचार। महान दृष्टि। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि प्रस्तावना “ Ought” दिखाता है, आर्दश बताता है, हकीकत क्‍या है, वो अलग होती है। क्या होना चाहिए यह प्रस्‍तावना बताती है। वास्तव में क्या किया गया है, हमें संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को देखने से पता चलता है। इसलिए, आइए देखें कि संविधान के प्रावधानों में प्रस्तावना कैसे परिलक्षित होती है। मौलिक अधिकारों को देखें। ये सभी मौलिक अधिकार स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा के बारे में हैं। संस्कृति के अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार, जो समूह अधिकार, सामूहिक अधिकार हैं, को छोड़कर हमारे मौलिक अधिकार काफी हद तक व्यक्तिवादी हैं। हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की है। चुनाव होते हैं; सभी के पास सार्वभौमिक मताधिकार है इसलिए बड़े पैमाने पर देश में राजनीतिक न्याय है। लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय पाने के लिए हमारे पास संविधान का भाग IV है; नीति निर्देशक सिद्धांत। ये राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं। हम बंधुत्व कैसे प्राप्त कर सकते हैं? केवल अधिकारों के दावे से नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों के पालन से। यदि हम सभी जीवों के प्रति करुणा रखते हैं, यदि हमने हिंसा को त्याग दिया है, यदि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को बनाए रखते हैं, तो हम बंधुत्व प्राप्त करेंगे। मौलिक कर्तव्यों में बंधुत्व का विचार शामिल है। हमारे समाज में असमानताएं हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया और उनका शोषण किया जाता रहा। हम इन असमानताओं को बराबरी के स्तर पर कैसे लाएँ, इसके लिए हमने सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative action) को अपनाया। हमें आरक्षण की नीति चाहिए। इसलिए जब हमारे पास न्याय का एक आदर्श है और समानता का दूसरा मूल्य है, तो हमारी सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative action, reservation policy) कहती है कि आइए हम समानता को न्याय पर प्राथमिकता दें। इसलिए हमारे पास सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण नीति है। यह देखने के लिए कि आरक्षण नीति ठीक से लागू की जा रही है और उसकी निगरानी की जा रही है तो हमारे पास अनुसूचित जनजाति और ओबीसी आयोग हैं। और अंत में किसी भी संविधान या किसी प्रस्तावना का सबसे अहम लक्ष्य संविधानवाद होता है। संविधानवाद सीमित सरकार का विचार है। सत्ता का केंद्रीकरण किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे पास केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण या विभाजन है। आपके पास विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का बँटवारा है। आपके पास यह देखने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति है कि राज्य के सभी अंग अपने आवंटित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

**हमारे राष्ट्र का विवरण:**

आइए अब हम अपने राष्ट्र - संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य के विवरण पर आते हैं।

संक्षेप में संप्रभुता का यह पूरा विचार क्या है? जब हम कहते हैं कि हम संप्रभु राष्ट्र हैं तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि भारत आंतरिक रूप से सर्वोच्च और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। हम यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका या दुनिया की किसी अन्य शक्ति से आदेश नहीं लेते हैं। हम अपने भाग्य के स्‍वयं स्वामी हैं। हम जो भी कानून बनाना चाहते हैं, हम बनाते हैं। कोई हमें यह कानून बनाने और वह कानून नहीं बनाने के लिए आदेश नहीं दे सकता।

धर्मनिरपेक्ष - हम धर्मनिरपेक्ष हैं लेकिन फ्रांस की तरह नहीं, जहां धर्म और राज्य पूरी तरह से अलग हो गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह भी नहीं, जहां आपके पास चर्च और राज्य के बीच अलगाव की जाफरिसियन दीवार है। हमारे पास धर्मनिरपेक्षता का अपना ब्रांड है। हमारा देश धर्म-तटस्थ है। लेकिन इसमें सभी धर्मों के लिए समान सम्मान है। यह सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखता है।

हम समाजवादी हैं, लेनिन के समाजवाद या कार्ल मार्क्स के समाजवाद के अर्थ में नहीं। हम समाजवादी हैं क्योंकि हम वितरणात्मक न्याय की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सामाजिक और आर्थिक न्याय की। हम समाजवादी हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय संसाधनों का इस प्रकार वितरण हो कि सबका भला हो। कुछ हाथों में धन का संकेंद्रण नहीं होता। तो हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी है और निजी क्षेत्र भी है। उदारीकरण और निजीकरण की नई आर्थिक नीतियों को अपनाने के बाद, कई लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और कहा कि अब देश की नीतियां समाजवाद के विरूद्ध हैं इसलिए समाजवादी शब्द वापस ले लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना बुनियादी ढाँचा है और बुनियादी ढाँचे में से कुछ भी हटाया नहीं जा सकता है।

हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। इसका क्या मतलब है? हमारी पसंद की सरकार होगी। लोग हमारी मर्जी से हम पर राज कर पायेंगे। हमने 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी सहमति दी और 2019 में हमने इस सहमति को नवीनीकृत किया, इसलिए वे भारत पर शासन कर रहे हैं। सरकारों के खराब प्रदर्शन के कारण भारत के लोगों ने अनेकों बार अपनी सहमति वापस ले ली है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमारे पास हमेशा सरकारों का शांतिपूर्ण परिवर्तन होता रहा है। चूँकि इस देश में 'लोगों की इच्छा' प्रचलित है।

हम गणतंत्र हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रपति देश के निर्वाचित प्रमुख हैं। वह सम्राट नहीं है। वह राजा नहीं है। उनका कार्यकाल पाँच साल का है।

**आज हमने क्या सीखा?**

हमने अपने राष्ट्र के लक्ष्यों, मूल्यों और आकांक्षाओं की प्रस्तावना को समझा। भारत में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे संशोधित किया जा सकता है। इसका उपयोग संविधान की व्याख्या में संविधान निर्माताओं की मंशा जानने के लिए किया जा सकता है।

अगले व्याख्यान में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय - नागरिकता पर बात करेंगे। भारतीय नागरिक कौन है? भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है? नागरिकता कैसे समाप्त हो जाती है?

आपका बहुत बहुत धन्यवाद।